



राजस्थान आवासन मण्डल

सलुम्बर आवासीय योजना में पंजीकृत अपंजीकृत आवेदकों के लिए

किराया क्रय पद्धति/नगद भुगतान

पद्धति पर

खुली बिक्री योजना

द्वारा आवासों के आवंटन का

स्वर्णिम अवसर

आवेदन बिक्री की

प्रारम्भ तिथि

07.05.2013

(कार्य दिवस/समय में)

आवेदन बिक्री की

अंतिम तिथि

06.06.2013

(कार्य दिवस/समय में)

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति अधिनियम 1970 के नियमानुसार उदयपुर शहर में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा आवासीय मकानों की खुली बिक्री निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	आवास संख्या	वर्ग मी.	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी. में.)	आवास की लागत	आवेदन के साथ देय राशि पंजीकरण राशि मय पूर्वग्रहण की प्रथम किश्त	किराया क्रय पद्धति में एक माह में जमा कराने की राशि	नगद भुगतान पद्धति में तीन माह में जमा कराने की राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1-A-159, 174, 176, 184 & 203	30.00	11.00	173900.00	12000.00	26283.00	164073.00
		1-A-206, 275, 277, 282 1-B-97, 99, 103, 107, 110, 116, 121, 125 & 129	30.00	12.44	162400.00	12000.00	23895.00	152573.00
		1-A-258, 259, 262, 1-B-68, 69, 72, 78, 82, 85, 89, 93 & 94	36.00	13.66	186100.00	12000.00	29150.00	176607.00
2.	अल्प आय वर्ग	1-A-98, 109, 122, 123, 150, 152, 1-B-37, 38 & 40	90.00	33.60	536900.00	25000.00	93553.00	518048.00
3.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	1-A-139	120.00	42.78	820100.00	90000.00	238045.00	763558.00
4.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	1-A-12, 16, 17 & 19	162.00	69.02	1187000.00	150000.00	442267.00	1085523.00

1. लागत के अतिरिक्त लीज राशि, विविध खर्च, कॉर्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि की राशि बोर्ड नियमानुसार देय है। 2. आवासों का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित विकल्प के क्रम में किया जावेगा। 3. आवासों का आवंटन "जहाँ है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा। 4. इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं अपंजीकृत आवेदकों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। 5. योजना के पूर्व आवेदकों को आवंटन में प्रथम वरियता दी जायेगी। 6. आवास के आवंटन हेतु आवेदन फार्म मूल आवेदक स्वयं के उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। 7. योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा। 8. योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है। 9. आवेदकों को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते का प्रमाण स्वरूप बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में से एक की सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। 10. पूर्व पंजीकृत आवेदकों का पंजीकरण निरस्त नहीं होना चाहिए एवं पुनर्जीवित से संबंधित साक्ष्य एवं पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नहीं होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने का 10/- रूपये के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 11. खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- का नगद भुगतान जमा कर दिनांक 07.05.2013 से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

परियोजना अभियन्ता (व.)

1-A-281, पानी की टंकी के पास,

सलुम्बर, उदयपुर

मो. 9828233362, 9950611645

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता खण्ड प्रथम, उदयपुर

पारस तिराहा, सेक्टर 11, उदयपुर

फोन नं. 0294-2583108,

मो. 9828109472